न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनवारी लाल V/s नीरू चौधरी वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु० नं. 93/2019
25-8-21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एकतरफा सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर जरिये राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

25/08/21

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.10 13:47:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
93/2019	2019/234	30.09.2019	25.08.2021

उनवान प्रकरण

1. बनवारी लाल पुत्र स्व0 शिवपाल उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

वादी

बनाम

1. नीर चौधरी पुत्र स्व0 शिवपाल उम्र 20 साल
2. भगवानी देवी पत्नि स्व0 शिवपाल उम्र 55 साल
3. सजना देवी पुत्री स्व0 शिवपाल उम्र 33 साल
4. ऋतु खेदड़ पुत्री स्व0 शिवपाल उम्र 25 साल
5. आरती चौधरी पुत्री स्व0 शिवपाल उम्र 22 साल

   जाति समस्त जाट निवासीगण रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
6. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री अरविन्द कुमार शर्मा एड0 – वादी की ओर से

श्री महेन्द्र सिंह धायल एड0 – प्रतिवादी नं. 1 से 5 की ओर से

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– प्रतिवादी नं. 6 की ओर से

वाद पत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.10 13:47:03 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि यह वाद पत्र बाबत घोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

25/08/21

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 795 से 802, 805 कुल किता 9 कुल रकबा 6.3000 हैक्टर के 1/45 हिस्सा की खातेदारी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति स्वर्गीय शिवपाल पुत्र म्हादू के नाम दर्ज है जिसमें शिवपाल के पिता का नाम म्हादू गलत दर्ज है जबकि शिवपाल के पिता का वास्तविक नाम महादेव है। राजस्व ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 1994, 2002, 2003, 2010 कुल किता 4 कुल रकबा 2.9600 हैक्टर के 1/18 हिस्सा की खातेदारी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति स्वर्गीय श्योपाल पुत्र म्हादूराम के नाम दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति का नाम श्योपाल पुत्र म्हादूराम गलत दर्ज है जिनका वास्तविक नाम शिवपाल पुत्र महादेव है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1940, 1941 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा के 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति स्वर्गीय श्योपाल पुत्र म्हादू के नाम दर्ज है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति का नाम श्योपाल पुत्र म्हादू गलत दर्ज है जिनका वास्तविक नाम शिवपाल पुत्र महादेव है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 3430 रकबा 2.1700 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा के 1/18 हिस्सा की खातेदारी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता/पति स्वर्गीय शिवपाल पुत्र महादेव के नाम दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति का नाम शिवपाल पुत्र महादेव सही दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 आपस में भाई–माता एंव बहिने होकर एक ही परिवार खानदान से है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति का वास्तविक नाम शिवपाल पुत्र महादेव ही है तथा उनके मतदाता पहिचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र में भी उनका नाम शिवपाल पुत्र महादेव ही दर्ज है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 3430 रकबा 2.1700 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा के 1/18 हिस्सा की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति का नाम शिवपाल पुत्र महादेव सही दर्ज है। वादपत्र की मद संख्या 1 ता 3 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति का नाम शिवपाल पुत्र म्हादूराम, श्योपाल पुत्र म्हादूराम एंव श्योपाल पुत्र म्हादू अंकित कर दिये जाने से विरासता का नामान्तकरण खुलवाने में परेशानी आ रही है। जिसे खातेदारी में शिवपाल पुत्र महादेव घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने का निवेदन वादी वकील द्वारा अपने वादपत्र में करते हुए वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वा[illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के [illegible] अनुपालना में प्रतिवादी नं. 6 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उन[illegible] विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.10 13:47:03 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

[illegible] होया नहीं दर्ज करना चाहिये।

अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह धायल के उपस्थित होकर वादी के पक्ष में दिनांक 15.10.2019 को न्यायालय में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया गया है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 206/भू.अ./2020 दिनांक 04.02.2020 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 3, 238, 239, 362 में अंकित भूमियों की खातेदारी में कमशः शिवपाल पुत्र म्हादू हि0 1/45, श्योपाल पुत्र म्हादूराम हिस्सा 1/18, शिवपाल पुत्र महादेव हिस्सा 1/18, श्योपाल पुत्र म्हादू हिस्सा 1/3 सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। सभी प्रविष्टि एक ही व्यक्ति से सम्बन्धित है। अलग–अलग व्यक्ति नहीं होने से खातेदारी में उक्तानुसार प्रविष्टि दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। जिनकी तस्दीक वादी साक्ष्य में प्रस्तुत मुख्य परीक्षण शपथ पत्र बनवारी लाल ने अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता–पति का नाम दुरूस्त किये जाने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया है।

हमने वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा, साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 795 से 802, 805 कुल किता 9 कुल रकबा 6.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1994, 2002, 2003, 2010 कुल किता 4 कुल रकबा 2.9600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1940, 1941 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0100 हैक्टर की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति का नाम अलग–अलग गलत इन्द्राज दर्शाया जाना त्रुटिपूर्ण है। जिसकी साक्ष्य वादी द्वारा पेश शपथ पत्रों से भी पुष्टि होती है तथा पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दुरूस्त कर शिवपाल पुत्र महादेव सही दर्ज करना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.10 13:47:03 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के [illegible] वादी का प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र की [illegible] में बरूए राजीनामा डिकी किया जाता है तथा [illegible]णा की जाती है कि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

25/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 796 से 802 कुल किता 9 कुल रकबा 6.3000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादी व प्रतिवादी 1 ता 5 के मृत्तक पिता–पति शिवपाल के पिता का नाम म्हादू के स्थान पर महादेव रुस्त किया जाकर मृतक शिवपाल के नाम दर्ज हिस्सा 1/45 का वादी व प्रतिवादी संख्या को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर मृत्तक शिवपाल का नाम जफ किया जावे तथा खसरा नम्बर 1994, 2002, 2003, 2010 कुल किता 4 कुल रकबा 2.400 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मृत्तक पिता–पति श्योपाल पुत्र म्हादूराम हिस्सा 1/18 के स्थान पर शिवपाल पुत्र महादेव हिस्सा 1/18 दुरुस्त किया जाकर उक्त हिस्सा 1/18 से वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 5 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 1940, 1941 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0100 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता–पति का नाम श्योपाल पुत्र म्हादू हिस्सा 1/3 के स्थान पर शिवपाल पुत्र महादेव हिस्सा 1/3 दुरुस्त किया जाकर उक्त हिस्सा 1/3 से वादी व प्रतिवादी सं.या 1 ता 5 के मृत्तक पिता–पति का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 3430 रकबा 2.1700 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/18 से वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मृत्तक पिता–पति शिवपाल पुत्र महादेव का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी दुरुस्त की जावें। राजीनामा दिनांक 15.10.2019 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.10 13:47:03 IST
Reason: SelfAttested

25/08/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)